ईकबाल सिंह आदि **बनाम** मखन सिंह आदि

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 68 सन् 2023

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024/236

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21.02.2025	अधिवक्तागण उपस्थित। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई, बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए चक 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/11 के मुरब्बा नम्बर 20, 34/18 की कुल 1.542 हैक्टेयर भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है, जो चलने योग्य नहीं है और काबिले खारिज है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए मय खर्चा खारिज फरमाया जावे। लिहाजा हस्तगत प्रकरण में वादी को कोई हक व हिस्सा प्राप्त होना है या नहीं यह मूलवाद में साक्ष्य से तय होना है। अतः हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। प्रार्थीगण/वादीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे चक 58 एफ, पटवार हल्का 58 एफ, भू.अ.नि. क्षेत्र जोरावरसिंहपुरा, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 11/11 के मुरब्बा नम्बर 20, 34/18 की कुल 1.542 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 मखन सिंह पुत्र लाल सिंह के नाम दर्ज 0.514 हैक्टेयर भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर